

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2026-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी, 2026

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 जिसे सा.का.नि. संख्या 781 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

I. तालिका I में,-

- 1) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 2) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;

3) क्रम सं. 5 के सामने, स्तम्भ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

- 4) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 5) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 6) क्रम सं. 12 के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 7) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 8) क्रम सं. 14 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 9) क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 10) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 11) क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 12) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;

- 38) क्रम सं. 99 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 39) क्रम सं. 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 40) क्रम सं. 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 41) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 42) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“110क.	2841 90 00	सोडियम एंटीमोनेट जिसका उपयोग सोलर ग्लास के निर्माण में किया जाता है परंतु कि इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3
110ख.	2841 90 00	बेरिलियम और रीनियम के ऑक्सोमेटेलिक या पेरोक्सोमेटेलिक एसिड के लवण	शून्य	-	-”;

- 43) क्रम सं. 111 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 44) क्रम सं. 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“111क.	2846	रेयर अर्ध मेटल्स के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक	शून्य	-	-”;

- 45) क्रम सं. 112 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 46) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 47) क्रम सं. 114 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 48) क्रम सं. 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 49) क्रम सं. 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 50) क्रम सं. 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 51) क्रम सं. 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;

- 52) क्रम सं. 119 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 53) क्रम सं. 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 54) क्रम सं. 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 55) क्रम सं. 128 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 56) क्रम सं. 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 57) क्रम सं. 134 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“134.	2915, 2933, 3208, 3506, 3815, 3901, 3920	तालिका I से जुड़ी सूची 8 में निर्दिष्ट वस्तुएँ, जिनका उपयोग ईवीए (एथिलीन विनाइल एसीटेट), पीओई (पॉलीओलेफिन इलास्टोमर) या इनके संयोजन से बनी शीट/एंकेप्सुलेट या बैकशीट के निर्माण में किया जाता है, जिनका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है: परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 और 15”;

- 58) क्रम सं. 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 59) क्रम सं. 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 60) क्रम सं. 138 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 61) क्रम सं. 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 62) क्रम सं. 140 के सामने,
- (क) स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 63) क्रम सं. 141 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 64) क्रम सं. 142 के सामने,

(क) स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

65) क्रम सं. 143 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“143.	39,48 या कोई अन्य अद्याय	तालिका I से जुड़ी सूची 11 में निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात जब बोना फाइड एक्सपोर्टर द्वारा, चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर, शू-अपर, या चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल के लिए, निर्यात हेतु, किया जाए; परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 और 88”;

66) क्रम सं. 144 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

67) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;

68) क्रम सं. 146 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

69) क्रम सं. 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;

70) क्रम सं. 148 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

71) क्रम सं. 150 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

72) क्रम सं. 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;

73) क्रम सं. 155 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

74) क्रम सं. 156 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

75) क्रम सं. 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

76) क्रम सं. 159 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;

- 95) क्रम सं. 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 96) क्रम सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 97) क्रम सं. 205 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 98) क्रम सं. 208 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 99) क्रम सं. 209 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 100) क्रम सं. 213 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 101) क्रम सं. 214 के सामने, स्तम्भ (3) में, मद (i) के समक्ष, प्रविष्टियों "210,212 और 213" के लिए, प्रविष्टियों "210 और 212" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 102) क्रम सं. 217 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 103) क्रम सं. 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 104) क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 105) क्रम सं. 220 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 106) क्रम सं. 221 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 107) क्रम सं. 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"222.	7407, 7408	रिफाइंड कॉपर का कॉपर वायर जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल डाइमेंशन 6 मीमी से ज़्यादा हो, या रिफाइंड कॉपर की कॉपर रॉड, जिसका इस्तेमाल फोटोवोल्टिक रिबन या टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट या सेल इंटरकनेक्ट या स्ट्रिंग इंटरकनेक्ट या फोटोवोल्टिक कनेक्ट या फोटोवोल्टिक रिबन या सोलर रिबन बनाने के लिए किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल बनाने के लिए:	शून्य	-	3 ";

		परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।			
--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- 108) क्रम सं. 223 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 109) क्रम सं. 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 110) क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 111) क्रम सं. 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 112) क्रम सं. 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां

अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“226क.	8112 92 00	अप्रसंस्कृत; अपशिष्ट और स्क्रैप; पाउडर, निम्नलिखित के:- (i) गैलियम (ii) जर्मनियम (iii)इंडियम (iv)नायोबियम (v) वैनेडियम	शून्य	-	-”;

- 113) क्रम सं. 227 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- 114) क्रम सं. 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“227क	8401 30 00	सभी वस्तुएँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए	शून्य	-	-
227ख	8401 40 00	परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात् :- (i) कन्ट्रोल और प्रोटेक्शन अब्सारबेर रॉड्स; (ii) बर्नबल अब्ज़ोरबर रॉड्स	शून्य	-	-”;

- (115) क्रम सं. 228 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (116) क्रम सं. 229 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (117) क्रम सं. 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“230	84 या कोई अन्य अध्याय	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्:-</p> <p>(1) पवन ऊर्जा संचालित विद्युत जनरेटर घटकों के निर्माण या रखरखाव के लिए भाग और उपभाग, अर्थात्:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) विशेष बीयरिंग, (ii) गियर बॉक्स, (iii) यॉ घटक, (iv) पवन टरबाइन नियंत्रक <p>(2) पवन चालित विद्युत जनरेटरों के रोटर के ब्लेडों के निर्माण या रखरखाव हेतु पुर्जे</p> <p>(3) पवन संचालित विद्युत जनरेटर ब्लेड के बाल्सा लकड़ी, कार्बन फाइबर</p> <p>(4) पवन संचालित विद्युत जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए फोर्जेड स्टील रिंग्स जो टैरीफ मद 7326 90 99 के अंतर्गत आता है</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।</p>	5%	-	29

- (138) क्रम सं. 270 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (139) क्रम सं. 271 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (140) क्रम सं. 272 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (141) क्रम सं. 273 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (142) क्रम सं. 274 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (143) क्रम सं. 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (144) क्रम सं. 276 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (145) क्रम सं. 277 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (146) क्रम सं. 278 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“278क	8501 10 20, 8504 31 00, 8516 80 00, 8516 90 00	माइक्रोवेव ओवन, जो टैरिफ मद 8516 50 00 के अंतर्गत आता है, के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात् :- (i) ए.सी. सिंक्रोनस मोटर या ए.सी. फैन मोटर (8501 10 20) (ii) ट्रांसफार्मर (8504 31 00) (iii) इलेक्ट्रिक हीटिंग रेसिस्टर (8516 80 00) (iv) अन्य पुर्जे (8516 90 00) परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3”;

- (147) क्रम सं. 280 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक मैं, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (148) क्रम सं. 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (149) क्रम सं. 285 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (169) क्रम सं. 333 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (170) क्रम सं. 334 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (171) क्रम सं. 334 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“334क	कोई भी अद्याय	<p>विमान के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए कच्चे माल:</p> <p>(i) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमान; या</p> <p>(ii) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं:</p> <p>परंतु इन वस्तुओं का आयात रक्षा मंत्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर अन्डर्टैकिंग द्वारा किया गया हो:</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।</p>	शून्य	-	3 और 89”;

- (172) क्रम सं. 335 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (173) क्रम सं. 335 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“335क	कोई भी अद्याय	<p>शीर्ष 8802 के विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं-</p> <p>(i) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए;</p>	शून्य	-	3”;

	<p>(ii) मद (i) में उल्लिखित विमानों के पुर्जों के निर्माण के लिए;</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में निहित कोई भी बात इस अधिसूचना की तालिका । के क्रमांक 335 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होगी:</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II. तालिका I के अनुलग्नक में,-

- (a) शर्त कॉलम में शर्त संख्या 5 के अंतर्गत, खंड (ii) में, प्रविष्टि “1%” के स्थान पर प्रविष्टि “3%” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(b) शर्त संख्या 87, के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शर्त संख्या	शर्त
“88.	यदि आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाए गए सामान को आयातक, उन आयातित वस्तुओं के आयात की तारीख से बारह महीने के अंदर निर्यात कर देता है।
89	<p>यदि ऐसा कोई अधिकारी जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव से कम पद का न हो, -</p> <p>(i) आयातित वस्तुओं की मात्रा, विवरण तथा तकनीकी विनिर्देशों को प्रमाणित करता है;</p> <p>(ii) प्रमाणित करता है कि उक्त सामान रक्षा बल के निम्नलिखित सामानों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग के लिए विमान के पुर्जे के विनिर्माण के लिए है, अर्थात् :-</p> <p>(क) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए; या</p> <p>(ख) शीर्ष 8802 के विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं; और</p> <p>(iii) आयातित वस्तुओं को छूट देने की सिफारिश करता है।”;</p>

III. तालिका I से जुड़ी सूचियों में:

क. सूची 3 में, क्रम सं. 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

- “113. राईबोसिक्लिब
- 114. एबेमासिक्लिब
- 115. टैलिकैबटाजीन ऑटोल्यूसेल
- 116. ट्रेमेलिमुमैब
- 117. वेनेटोक्लैक्स
- 118. सेरिटिनिब
- 119. ब्रिगाटिनिब
- 120. डारोलुटामाइड
- 121. टोरिपालिमैब
- 122. सरप्लुलिमैब
- 123. टिस्लेलिजुमैब
- 124. इनोटुजुमैब ओजोगामाइसिन
- 125. पोनेटिनिब

126. इब्रुटिनिब
127. डाब्राफेनिब
128. ट्रामेटिनिब
129. इपिलिमुमैब।”;

ख. सूची 22 में, क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

- “52. कोनजेनिटल हाइपरइंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया (सीएचआई)
53. फमिलियल होमोजाइगस हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया
54. अल्फा मैनोसिडोसिस
55. प्राइमरी हाइपरऑक्साल्यूरिया
56. सार्फिस्टिनोसिस
57. हेरीडिटरी एंजियोएडेमा
58. प्राइमरी इमयूनो डिफिशन्सी डिसॉर्डर।”;

IV. तालिका II में, -

- क. क्रम सं. 1 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ग. क्रम सं. 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“66	9801	तालिका II में संलग्न सूची 2 में निर्दिष्ट किसी भी परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक वस्तुएँ, जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार का ऐसा कोई अधिकारी प्रमाणित करे जो संयुक्त सचिव से कम पद का न हो: परंतु कि इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 30 सितंबर, 2035 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	20 और 34”;

V. तालिका II के अनुलग्नक में, शर्त संख्या 33, के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शर्त संख्या	शर्त
“34	यदि माल का आयात परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में संबंधित कस्टम हाउस के साथ 30 सितंबर, 2035 को या उससे पहले पंजीकृत अनुबंधों के तहत किया गया हो। ”;

VI. तालिका II से जुड़ी सूचियों में:

क. सूची 2 में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

“14	परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित कोई अन्य परमाणु ऊर्जा परियोजना। ”;
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. तालिका IV में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;

2. जहाँ अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 334/04/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 को सा.का.नि. संख्या 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 48/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 14 नवंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, क्रमांक सा.का.नि. संख्या 847 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया।